न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2020/00027
मिसलनम्बर–85 / 2020

कजोड़ आत्मज माधो जी जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
–प्रार्थी

बनाम

1.रामदेव आत्मज पांथू
2.गेन्दीलाल आत्मज पांथू
3.हीरालाल आत्मज पांथू
4.रामभरोस आत्मज नाथू
5.छीतरलाल आत्मज माधो (मृतक) जरिये कायम मुकामान–
5 / 1 राजमल पुत्र स्व0 छीतरलाल निवासी गिरधरपुरा तह0 लाडपुरा कोटा
5 / 2 बनवारी पुत्र स्व0 छीतरलाल निवासी के0 पाटन थान के सामने के0पाटन
5 / 3 धन्नी बाई पत्नी कन्हैयालाल निवासी बरूंधन तह0 तालेड़ा जिला बून्दी
5 / 4 मंजू बाई बेवा लक्ष्मीचंद निवासी बरूंधन तह0 तालेड़ा जिला बून्दी
5 / 5 प्रकाशी बाई लक्ष्मीचंद निवासी गिरधरपुरा तह0 लाडपुरा बून्दी
6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज
–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।)

दिनांक 24/10/24

उपस्थितिः–
1.श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री रघुवीर कुमार राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 4

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 सगे भाई हैं जिनके शामलाती खातेदारी की आराजी ख०नं० 238 रकबा 0.03 है०, ख0नं० 239 रकबा 0.06 है०, ख०नं० 253 रकबा 0.09 है०, ख0नं० 284 रकबा 0.14 है., ख0नं0 285 रकबा 0.41 है०, ख०नं० 290 रकबा 0. 31 है०, ख0नं0 291 रकबा 0.01 है0 (गैर मुमकिन चाह) ख०नं0 292 रकबा 0.03 है०, ख०नं० 293 रकबा 0.48 है० कुल किता 9 रकबा 1.56 है० वाके ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा शेष प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 उक्त अराजी के सह खातेदारान हैं। प्रार्थी की शामलाती खातेदारी की उक्त भूमि प्रार्थी अपने हिस्से में आयी आराजी का विधिवत बंटवारा करवाकर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

दुरस्तीकरण करवाये जाने का अधिकारी है क्योंकि शामलाती भूमि होने से उक्त आराजी पर आये दिन विवाद पैदा होते हैं। प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण से कई बार उक्त खाते की भूमि, उसमें प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 5 के 1/2 हिस्से को अपने नाम दर्ज करवाने व रेकार्ड को दुरस्ती करवाने एवं बंटवारा कर पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज कराने का निवेदन किया गया तो प्रतिपक्षीगण द्वारा टालमटोल की गई और प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 ने दिनांक 24.12.2019 को अवैध रूप से उक्त शामलाती खातेदारी की भूमि पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य करने लगे। इस संबंध में तहसीलदार साहब लाडपुरा व श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय कोटा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया तथा कार्यवाही संतोषप्रद न होने के कारण प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में उक्त आराजी के बाबत वाद व अस्थायी निषधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रतिपक्षीगण प्रार्थी को उसकी खातेदारी की भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी देते हैं इसलिये माननीय न्यायालय से प्रतिपक्षीगण को पाबन्द फरमाया जाना अति आवश्यक है। प्राथी का केस प्रथम दृष्टया है एवं सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 उक्त भूमि ख०नं० 238 रकबा 0.03 है०, ख0नं० 239 रकबा 0.06 है०, ख०नं० 253 रकबा 0.09 है०, ख0नं० 284 रकबा 0.14 है., ख0नं0 285 रकबा 0.41 है०, ख०नं० 290 रकबा 0.31 है०, ख0नं0 291 रकबा 0.01 है0 (गैर मुमकिन चाह) ख०नं0 292 रकबा 0.03 है०, ख०नं० 293 रकबा 0.48 है० कुल किता 9 रकबा 1.56 है० वाके ग्राम नान्ता तहसील लाडपूरा जिला कोटा के किसी भाग का बिना कोई विधिक बंटवारा कराये अवैधानिक, अनाधिकृत तरीके से निर्माण कार्य व खुर्द बुर्द नहीं करे, ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये।

अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय कांउटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सभी मदो को अस्वीकार कर कथन किया कि प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में निहित नहीं है अपितु 1/3 हिस्सा निहित उक्त गलत दर्ज 1/2 हिस्से की दुरस्ती करवाये बिना विधिवत विभाजन संभव नही है। प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 5 तथा प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य अपने पूर्वजों के समय ही उक्त विवादित आराजी का मौखिक विभाजन हो चुका है उसी अनुरूप गांव के पास स्थित आराजी ख०न0 283 पर प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 का रिहायशी मकान व पशुओं के लिये आवास बने हुए हैं तथा ख0नं0 284, 285 पर प्रतिपक्षी संख्या 4 व ख०नं0 290 की आराजी पर प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के रहने के लिये आवास व मवेशियों के लिये आवास बने हुये है जिस पर प्राथीं व प्रतिपक्षीगण अपने निहित वास्तविक हिस्से अनुसार काबिज काश्त है व शॉतिपूर्वक निवास कर रहे हैं तथा प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 5 के पिता ने ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज० में स्थित साबिक ख०नं0 90 जिसका वर्तमान खनं0 158 रकबा 0.09 है० है को मौखिक विभाजन मे प्राप्त कर दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर दी है उक्त गिरधरपुरा की आराजी प्रार्थी एव प्रतिपक्षी संख्या 5 के पिता ने मौखिक विभाजन में स्वयं ने प्राप्त कर उसकी एवज मे उक्त मौखिक विभाजन में ग्राम नान्ता की आराजी ख०नं0 238 व 239 प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के पिता पांथू जी को एवं ख0नं0 253 की आराजी प्रतिपक्षी संख्या 4 के पिता नाथू जी को दी थी जिस पर वह अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे तथा वर्तमान में उक्तानुसार प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 काबिज काश्त है। प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 के पिता माधो पुत्र कान्हा, प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के पिता पाथू पुत्र कान्हा एवं प्रतिपक्षी संख्या 4 के पिता नाथू पुत्र कान्हा सगे भाई थे अर्थात प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण के दादा कान्हा जी के तीन पुत्र क्रमशः माधो, नाथू व पांथू थे जिनके हाल सेटलमेंट से पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

साबिक ख०नं० 120 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख०नंव 135 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, ख०नं० 136 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, ख०नं० 138 रकबा 2 बिस्वा, ख०नं० 139 रकबा 5 बीधा एवं ख०नं० 151 रकबा 10 बिस्वा कुल किता कुल रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा आराजी वाके ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज० में स्थित चली आ रही है जो राजस्व रेकार्ड सम्वत 2028–31 में प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 5 के पिता माधो, प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के पिता पांथू एवं प्रतिपक्षी संख्या 4 के पिता नाथू पुत्र कान्हा के समभाग से 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है तथा ग्राम गिरधरपुरा तह० लाडपुरा जिला कोटा में गत सेटलमेट से पूर्व साबिक ख०नं० 90 रकबा 13 बिस्वा बड़ा कुआं वाली प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण के पिता माधो, नाथ्या, पांथू, बेटे कान्हा के गत सेटलमेंट से पूर्व सम्वत 2012 से 2015 में समभाग से दर्ज रेकार्ड है। तत्पश्चात ग्राम गिरधरपुरा की उक्त आराजी प्रार्थी एव प्रतिपक्षी संख्या 5 के पिता माधो जी ने गत सेटलमेंट सम्वत 2016 से 2024 में अपने नाम दर्ज करवा ली व आपसी सहमति से बंटवारे में प्राप्त कर ली। उनकी मृत्यु उपरांत उक्त आराजी प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 5 के नाम दर्ज हुई जिन्होंने उक्त आराजी को जगन्नाथ पुत्र बिरधा व धन्ना पुत्र बिरथा जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा को विक्रय कर दी जिसके वर्तमान ख०नं0 158 रकबा 0.09 है० है। उक्त आराजी प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 5 के पिता ने अपने हिस्से में प्राप्त कर प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के पिता पांथू जी को ग्राम नान्ता की हाल खनं0 238 रकबा 0.03 है० एवं ख०न0 239 रकबा 0.06 है० तथा प्रतिपक्षी सख्या 4 के पिता नाथू जी को हाल ख०नं० 253 रकबा 0.09 है० आराजी आपसी सहमति से मौखिक विभाजन में दी थी तब से ही वे उक्तानुसार उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान में प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 उक्तानुसार काबिज काश्त हैं जिसको प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं शेष प्रार्थना वर्णित आराजी ख०न0 284 रकबा 0.14 है०, ख0नं० 285 रकबा 0.41 है०, ख०न० 290 रकबा 0.31 है., ख०नं0 291 रकबा 0.01 है०, ख०नं0 292 रकबा 0.03 है० एवं ख०नं0 293 रकबा 0.48 है0 आराजी जो गांव के पास स्थित है में प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी सख्या 5 का 1/3 हिस्सा, प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिपक्षी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था जिसको सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 5 का 1/2 एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के पिता पांथू एवं प्रतिपक्षी संख्या 4 के पिता नाथू का 1/2 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया है, जिसको प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 दुरूस्त करवाकर पूर्व हिस्से अनुसार प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा, प्रतिपक्षी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा एवं प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 का 1/3 हिस्सा माननीय न्यायालय की सहायता से दुरूस्ती की घोषणा करवाकर दुरूस्त करवाकर दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी हैं एवं ताफैसला दावा मय काउन्टर क्लेम प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 माननीय न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 ने प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 के शामलाती खाते की उपरोक्त आराजी का हिस्सा दुरूस्त करवाकर उपरोक्तानुसार विधिवत विभाजन करने एवं पृथक कायम करने लगान कायम करने के लिये दिनांक 04.01.2021 को कहा तो प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्य 5 ने इंकार कर दिया। अतः प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 को प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 के विरूद्ध यह काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है साथ ही ताफैसला जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 माननीय न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हैं। प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 का केस प्रथम दृष्टया है एंव सुविधा का संतुलन भी प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में है, यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 का जवाब काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का उद्देश्य निरर्थक हो जायेगा एवं प्रार्थी आपने अवैधानिक कृत्यों में सफल हो जायेंगें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्यय खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 5/1 लगायत 5/5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के कब्जे काश्त व विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि में शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें तथा प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 5/1 लगायत 5/5 उक्त गलत रूप से दर्ज हिस्सा 1/2 के आधार पर किसी भी प्रकार से आराजी का विक्रय, दान, वसीयत व अन्य रीति से हस्तान्तरण आदि नहीं करें। रैकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं ऐसा कोई कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। अन्य जो भी न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 को प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण 5/1 लगायत 5/5 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये अतः अप्रार्थी 5/1 लगायत 5/5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रार्थी ने प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम के कथनो का खण्डन किया तथा काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र–जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आराजी ख०नं० 238 रकबा 0.03 है०, ख०नं0 239 रकबा 0.06 है0, ख0नं० 253 रकबा 0.09 है०, ख०न0 284 रंकबा 0.14 है0, ख0न0 285 रकबा 0.41 है., ख0नं० 290 रकबा 0.31 है०, ख0नं० 291 रकबा 0.01 है0 (गैर मुमकिन चाह) ख0न0 292 रकबा 0.03 है०, ख०नं0 293 रकबा 0.48 है० कुल किता 9 रकबा 1.56 है० वाके ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा के संबंध में प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कर प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध उक्त आराजी को बिना कोई विधिक विभाजन कराये और बिना पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज कराये अवैधानिक तरीके से निर्माण कार्य व खुर्द बुर्द नहीं करे तथा प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम सव्यय खारिज फरमाया जावे। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा निम्न कानूनी नजीरे प्रस्तुत की गई। 1.आर.टी.ए 2020 (2) पेज 1122 2.आर.टी.ए 2010 (1) 58।

प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम 212 के कथनो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 के पिता माधो पुत्र कान्हा, प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत के पिता पांथू पुत्र कान्हा एवं प्रतिपक्षी संख्या 4 के पिता नाथू पुत्र कान्हा सगे भाई थे अर्थात प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण के दादा कान्हा जी के तीन पुत्र क्रमशः माधो, नाथू व पांथू थे जिनके सेटलमेंट से पूर्व साबिक ख०नं० 120, ख०नं० 135, ख०नं० 136, ख०नं० 138, ख०नं0 139 एवं ख०नं0 157 कुल किता 6 कुल रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा आराजी ग्राम नान्ता में राजस्व रेकार्ड सम्वत 2028–31 में प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी सख्या 5 के पिता माधो पुत्र कान्हा, प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के पिता पांथू पुत्र कान्हा एवं प्रतिपक्षी संख्या 4 के पिता नाथू पिता कान्हा के समभाग से 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है तथा ग्राम गिरधरपुरा तह० लाडपुरा जिला कोटा में गत सेटलमेंट से पूर्व साबिक ख०नं0 90 रकबा 13 बिस्वा बड़ा कुंआ वाली प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण के पिता माधो, नाथू पांथू बेटे कान्हा के समभाग में दर्ज है। सेटलमेंट 2038–57 में गलत रूप से प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 के पिता के 1/2 हिस्सा दर्ज हो गया इसलिये उनको दुरस्त कर प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 के 1/3 हिस्सा व प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के 1/3 हिस्सा व प्रतिपक्षी संख्या 4 के 1/3 हिस्सा दुरस्त किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

27 RBMS-2020/000036

दर्ज किया जाना व तदनुसार विधिवत विभाजन किया जाना आवश्यक है तब तक प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5/2 लगायत 5/5 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय निरस्त फरमाया जावे तथा प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 5/1 लगायत 5/5 की जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे तथा प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 5/1 लगायत 5/5 उक्त गलत रूप से दर्ज हिस्सा 1/2 के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का विक्रय, दान, वसीयत आदि नहीं करे। रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है।

1.क्या प्रारथी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

2.क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

3.प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

इनको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के साथ प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 ने भी काउन्टर क्लेम पेश किया है इसलिये उनको भी मामला साबित करना है। वह शपथपत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। प्रस्तुत प्रकरण में हम पाते है कि सेटलमेंट से पूर्व सम्वत 2028–31 प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 5 के पिता माधो पुत्र कान्हा व प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के पिता पाथु पुत्र कान्हा एवं प्रतिपक्षी संख्या 4 के पिता नाथू पुत्र कान्हा के खाते में समभाग से साबिक 1/3–1/3 ख०नं० 120, ख०नं० 135, ख०नं० 136, ख०नं० 138, ख०नं० 139, ख०नं० 151 कुल किता रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा आराजी दर्ज थी। दौराने सेटलमेंट उक्त आराजी के नवीन ख०नं० खसरा नम्बर 238, ख०नं० 239, ख०नं0 253, ख०नं0 284, ख०नं० 285, ख०नं० 290, ख०नं० 291, ख०नं० 292, ख०नं० 293, ख०नं0 328, ख0नं0 329, ख०नं० 330 कुल किता 12 रकबा 2.98 है० कायम कर गलत रूप से प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के पिता पांथू पुत्र कान्हा का 1/4 हिस्सा, प्रतिपक्षी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया जिसमें विवाद उत्पन्न हो गया। इस प्रकार हिस्से की दुरस्ती नहीं होने तक विवादित आराजी को खुर्द बुर्द हो जाने का भय सदा व्याप्त रहेगा। उभयपक्षकारान के हक हिस्से का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के पश्चात ही सम्भव होगा परन्तु इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर यह देखना आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया मामला किसके पक्ष में बनना पाया जाता है जो सम्भवतया प्रतिपक्षी 1 लगायत 4 के पक्ष में साबित होता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है तथा प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 ने अपना प्रथम दृष्टया मामला साबित किया है इसलिये यह प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 का प्रथम दृष्टया मामला है।

क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है?

प्रस्तुत प्रकरण में सेटलमेंट के पूर्व प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के पिता पांथू पुत्र कान्हा व प्रतिपक्षी संख्या 4 के पिता नाथू पुत्र कान्हा, प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 के पिता माधो पुत्र कान्हा के साथ बराबर–बराबर अर्थात 1/3–1/3 हिस्से के अभिलिखित काश्तकार खातेदार थे तथा उसी अनुरूप प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। दौराने

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सेटलमेंट कायम किये गये नये खसरा नम्बरान में प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 को गलत रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज किया गया तथा प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा गलत रूप से दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण आज भी पूर्व हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है। ज्ञातव्य है कि प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिये उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 विवादित आराजी पर सेटलमेंट के बाद गलत रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज है किन्तु दर्ज हिस्से अनुसार उस पर काबिज काश्त नहीं है जिसके कारण ही पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न हुये हैं। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे विवादाग्रस्त के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी 5/1 लगायत 5/5 का कब्जा प्रमाणित हो। इस कारण प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 विवादित आराजी पर दर्ज 1/2 हिस्से अनुसार काबिज काश्त नहीं है इसलिये सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है जबकि प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध किया है कि सेटलमेंट के पूर्व प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के पिता पांथू पुत्र कान्हा व प्रतिपक्षी संख्या 4 के पिता नाथू पुत्र कान्हा, प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 के पिता माधो पुत्र कान्हा के साथ बराबर–बराबर अर्थात 1/3–1/3 हिस्से के अभिलिखित काश्तकार खातेदार थे एवं सेटलमेंट के बाद गलत रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 पूर्ण दर्ज हिस्से 1/2 के अनुसार आज भी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है इसलिये सुविधा का संतुलन प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में है।

क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

प्रस्तुत प्रकरण में सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 के पिता माधो व प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के पिता पांथू तथा प्रतिपक्षी संख्या 5 के पिता नाथू समभाग सं० 1/3–1/3 हिस्से में खातेदार दर्ज रेकार्ड है तथा उसी अनुरूप उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। दौराने सेटलमेंट प्रार्थी व प्रतिपक्षी संरख्या 5 के खाते गलत रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज किये जाने के कारण प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा कम दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के खाते में कम हिस्सा दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 के हिस्सा अधिक दर्ज हो जाने के कारण उनके द्वारा वर्तमान में दर्ज हिस्से के अनुसार आराजी के खुर्द बुर्द किये जाने से प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 की अपूरणीय क्षति होना संभावित है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सेटलमेंट से पूर्व ग्राम नान्ता के साबिक ख0नं0 120, ख०नं0 135, ख०न0 136, ख०नं0 138, ख०नं0 139, खवनं० 151 कुल किता 6 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 के पिता माधो, प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के पिता पांथू तथा प्रतिपक्षी संख्या 4 के पिता नाथू के समभाग में बराबर–बराबर दर्ज रेकार्ड थी। दौरान सेटलमेंट कायम किये गये नये खसरा नम्बरान में गलत रूप में से प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 के पिता का गत 1/3 हिस्से के मुकाबले सेटलमेंट में गलत रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज हो गया जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सम्वत 2028–31 से होती है। इसका कोई स्पष्टीकरण प्रार्थी द्वारा किसी दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य साक्ष्य से नहीं किया है कि वर्तमान में प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 के दर्ज 1/2 हिस्सा सही है। रेकार्ड में गलत दर्ज हिस्से के आधार पर प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5 उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जबकि प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 आज भी पूर्व की ही भांति विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं। प्रस्तुत प्रकरण में यह प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 का प्रथम दृष्टया मामला है। सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में है। यहां इस अस्थाई

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में तो मात्र सुविधा के संतुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर ही विचार किया जा रहा है जो कि प्रथम दृष्टया प्रतिपक्षीगण 1 लगयात 4 के हक में प्रमाणित है। यदि प्रार्थी के द्वारा वाद ग्रस्त आराजी पर बिना विभाजन करवाये उसके किसी भी विशेष भाग को दान, रहन, बेचान करते हुये खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रतिपक्षीगण 1 लगायत 4 को विवादित आराजी में अपने निहित अधिकारों से वंचित रहना पडेगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने से तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर ताफैसला वाद प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5/1 लगायत 5/5 के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 5/1 लगायत 5/5 आराजी ख०नं0 238, ख०न0 239, ख०नव 253, खवनं० 284, ख०न0 285, ख०न0 290, ख०न0 291, ख०न० 292, ख0नं0 293, ख०न0 328, ख०नं0 329, ख०नं0 330 कुल किता 12 रकबा 2.98 है० ग्राम नान्ता को गलत रूप से दर्ज हिस्सा 1/2 के आधार पर किसी भी प्रकार से आराजी का विक्रय, दान, वसीयत व अन्य रीति से हस्तान्तरण नहीं करे। रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे, प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 को बेदखल नहीं करे तथा उनके शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांकः 24/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * कोटा